

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1418] No. 1418] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2007/कार्तिक 25, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2007/KARTIKA 25, 1929

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

का.आ. 1947 (अ).—तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 को प्रकाशित अधिसूचना में केन्द्र सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को शामिल किया जाए, नामत: :—

> ''(ज) डॉ. पी. रविचन्द्रन, —सदस्य सचिव'' प्रमुख वैज्ञानिक, केन्द्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान, चेन्नई।

> > [फा. सं. 33036/3/2005-मा. (टी-2)] अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचित्र

टिप्पण:—मूल अधिसूचना को दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के संख्या का.आ. 1803(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित किया गया था। तदुपरान्त दिनांक 25-8-2006 के संख्या का.आ. 1359(अ), दिनांक 13-12-2006 के का.आ. 2093(अ) और दिनांक 8 अक्तूबर, 2007 के का.आ. 1720(अ) के तहत संशोधित किया गया था। 4640 GI/2007

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2007

S.O. 1947 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 4 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture vide number S.O. 1803(E), dated the 22nd December, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 22nd December, 2005, namely:—

In the said notification, for serial number (h) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(h) Dr. P. Ravichandran, ——Member Secretary"
Principal Scientist,
Central Institute of Brackishwater Aquaculture,
Chenni.

[F. No. 33036/3/2005-Fy (T-2)]

AJAY BHATTACHARYA, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) and *vide* number S.O. 1803 (E), dated the 22nd December, 2005 subsequently amended *vide* number S.O. 1359(E), dated the 25th August, 2006, S.O. 2093(E), dated the 13th December, 2006 and S.O. 1720(E), dated the 8th October, 2007.